

विचार बिन्दु

सनास्त कर्म का लक्ष्य आनंद की ओर है। -टैगोर

तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है.....

‘प्यासा सावन’ फिल्म का यह बड़ा लोकप्रिय गीत रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह गीत कितना सटीक है, यह अनुभव करने के लिए आपको करना केवल यह है कि, जिसे यह गीत संबोधित है (अर्थात् तेरा), वहां भाजपा को रख लें और जिसकी तरफ से यह कहा जा रहा है (अर्थात् मुझे) वहां, उन सभी भ्रष्ट नेताओं को रख लें, जिन्होंने अपने दल को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इस स्थान पर उन्हें भी रखा जा सकता है जिन्होंने बहुत घाटा होते हुए भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को करोड़ों का चंदा दिया है।

जिस गति से कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा का साथ देना प्रारंभ किया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि वे अब अपने प्रति किसी भी कार्यवाही न होने के प्रति निश्चित हैं। एक रिपोर्ट हाल ही ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित हुई है, उसका सार कुछ इस प्रकार है।

ऐसे जिन नेताओं के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई आदि की कार्यवाही चल रही थी, वे सब कारवाइयां फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। न केवल यह, इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने दल बदलते ही, भाजपा शासित राज्यों में, सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है।

ऐसे कुल 25 प्रमुख नेताओं के प्रकरण हैं, जिनमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई इनकम टैक्स या इकोनामिक ऑफिसिस विंग के कार्यवाही प्रारंभ की, किंतु कार्यवाही में तेजी होना, उसे बंद करना या उसमें ढिलाई देना, इस पर निर्भर होता रहा है कि संबंधित नेता विपक्ष में हैं अथवा सत्तादारी दल भाजपा के साथ हैं। इनमें से अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल आदि ऐसे हैं जिनके विरुद्ध मामला बंद करने की कार्यवाही संबंधित एजेंसी द्वारा की गई है और अब केवल अदालतों की मोहर लगना उसमें शेष है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के विरुद्ध महाराष्ट्र की ‘इकोनामिक ऑफिसिस विंग’ द्वारा मामला दर्ज किया गया था एवं जबकि अजीत पवार ने शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही एक प्रकार से समाप्त हो गई है। प्रफुल्ल पटेल, जिनके ऊपर हवाई जहाज खरीदने संबंधी घोटाले का प्रकरण 2017 में दर्ज किया गया था, उनके विरुद्ध डंडी द्वारा 2019 में चार्ज शीट दाखिल की गई। प्रफुल्ल पटेल ने जून 2023 में एनडीए को ज्वाइन किया और मार्च 2024 में उनके विरुद्ध सीबीआई द्वारा केस को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब उनके विरुद्ध केस तो लंबित है किंतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वे तो कई सालों से अम्म के मुख्यमंत्री भी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इसन मुश्रीफ पर शुगर फैक्ट्री के घोटाले का मामला बनाया गया था, किंतु जैसे ही जुलाई 23 में उन्होंने एनडीए का साथ दिया, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही समाप्त हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता सी एम रमेश ने तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2019 में ग्रहण की। उनके आवासों पर एवं अन्य परिसरों पर अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया था और इन पर 100 करोड़ की आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप था। बीजेपी के सांसद नरसिंह राव ने संसद की एथिक्स समिति के अध्यक्ष को इनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए लिखा, किंतु जैसे ही 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद, किसी भी कार्यवाही की जानकारी नहीं है। संजय सेठ, समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। उनके विरुद्ध 2015 में आयकर विभाग ने रेड की जो कि उनके शालीमार कंपनी से संबंधित थी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। अब उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी इसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस के सुवेदु अधिकारी के विरुद्ध नारायण रिटिंग ऑपरेशन में केस दर्ज हुआ। इनके विरुद्ध लोकसभा के अध्यक्ष से 2019 में अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी थी। 2020 दिसंबर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अब तक अध्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की अनुमति नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के छगन भुजबल को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2016 में चार्ज शीट दाखिल की। दो साल जेल में रहने के बाद 2018 में जमानत मिली। जुलाई 2023 में ये एनडीए के साथ चले गए। इसके बाद उनके विदेश जाने पर जो रोक लगी हुई थी उसे हटाने का विरोध सरकार द्वारा नहीं किया गया। मुंबई कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण शंकर सिंह, के विरुद्ध आय के साधनों से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर डंडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई और उनके पुत्रों से पूछताछ भी की गई। दिसंबर 13 में पुलिस ने इनके विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधानसभा अध्यक्ष से मांगी। 2015 अप्रैल में इनके विरुद्ध चार्ज शीट प्रस्तुत की गई और उनकी 95 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। कोर्ट ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण छोड़ दिया। 2019 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जुलाई 21 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब इनके विरुद्ध केस प्रभावहीन हो चुका है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के अनेक परिसरों पर डंडी ने लुई बरें केस में

कुल मिलाकर, हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सभी ऐसे कॉर्पोरेट घराने जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं अथवा वे सभी विपक्षी नेता जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेते हैं, उन सभी को एक प्रकार से अभय दान मिल जाता है।

यह अथवा उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह सभी लोग अब बीजेपी का साथ मिलने पर तो यही गुनगुना रहे होंगे। “...तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरो में भी हमें मिल रही रोशनी है”। स्पष्ट है, सारे भ्रष्ट नेताओं को अंधेरो में भी रोशनी की किरण दिखाई दे जाती है, बशर्ते कि वह भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लें। प्रचारचारियों द्वारा सत्ता का हाथ थामने की इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को कितना बढ़ावा मिलेगा, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि डंडी द्वारा जिन जनप्रतिनिधियों पर गत 10 सालों में कार्यवाही हुई, उनमें से 95 प्रतिशत विपक्ष के थे। यह आश्चर्यजनक है कि कि सभी नेता ईमानदार हो जाते हैं यदि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं।

इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत, हजारों करोड़ का जो चंदा प्राप्त हुआ है, उसका कारण या तो सरकार से बड़ा धंधा प्राप्त करना था या जेल की सीखचों से बचना था। अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक भाषणों में कई बार कह चुके थे कि उन्होंने 70000 करोड़ का घोटाला किया है और उन्हें भाजपा जेल के पीछे भेजकर उनसे चक्की पिसवाएंगी और उनकी शेष जिंदगी जेल में चक्की ‘पीसिंग’ में निकल जाएगी। किंतु, जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया वे बड़े सम्मानित नेता हो गए हैं और वे ‘चक्की पीसिंग’ के बजाय ‘सोशल मिक्सिंग’ में लग गए हैं। यह विडंबना ही है कि, भाजपा कार्यकर्ता की स्थिति बड़ी अटपटी हो जाती है क्योंकि जिन नेताओं का भ्रष्टाचार के आधार पर वे लगातार विरोध करते रहे, अब उन्होंने का सार्वजनिक रूप से गुणगान करने पर विवश हैं।

यह विचित्र बात है कि 35 ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जो घाटे में हैं, किंतु जिन्होंने लगभग 600 करोड़ रूपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे दिया, जिसमें से लगभग 500 करोड़ केवल भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त हुआ है। इनमें से किसी कंपनी को ना तो इनकम टैक्स न डंडी का नोटिस मिला और नांचां हुई। ऐसा होता तो यह पता लगाया जा सकता था कि किस प्रकार से काले धन को फर्जी कंपनियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया गया है। किसी प्रकार का नोटिस इन्हें मिलेगा भी नहीं क्योंकि ‘तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है’ अंधेरो में भी मिल रही रोशनी है”।

ऐसे सभी दल एवं व्यक्तियों को सरकारी संरक्षण की कोई कमी नहीं रहती है और वे निश्चित होकर अपना अवैध व्यापार जारी रख सकते हैं। यह भी साफ है कि जो भी उनके दबाव और प्रलोभन में नहीं आए उन्हें किसी न किसी प्रकार के मुकदमे में फंसा कर उन्हें जेल भेज दिया जाए और जेल जाने के बाद भी यदि वह उनकी बात मान ले तो फिर उन्हें जेल से तत्काल छोड़ दिया जाए।

हाल ही में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, को पीएमएलए कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके 6 माह तक जेल में रखा गया। उन्होंने जेल से बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैसे किसी भी गवाह को तब तक जेल में रखा गया जब तक उन्होंने अर्बिंद केजरीवाल का नाम तथाकथित शराब घोटाले से नहीं जोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने बयान में केजरीवाल का नाम ले लिया, उन्हें तत्काल न केवल जेल से रिहा कर दिया गया अपितु इस बात की भी छूट दी गई कि वे प्रधानमंत्री मोदी का चित्र लगाकर अपना चुनाव प्रचार करें।

इस पूरी व्यवस्था से देश का नागरिक प्रभित है कि वह किसका साथ दे? क्या वह भी केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए सत्ता का साथ दे या अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करे। संघर्ष का मार्ग अवश्य ही उसके लिए कठिनाइयां पैदा करेगा क्योंकि तब उसे सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, झूठे-सच्चे मुकदमों में निरंतर फंसाती रहेगी। लालता तो यह है कि चुनाव संपन्न होने तक, कई विपक्षी नेता जेल में चले जाएंगे एवं जो रंग बदल करके सत्ता के साथ हो जाएंगे, वे निश्चित होकर सारी सुख सुविधाओं का उपयोग करने में सफल रहेंगे। शायद इसी नीति के परिणाम के प्रति आश्चर्य होते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के लिए ‘अबकी बार 400 पर’ का नारा दिया है। जब अधिकांश प्रमुख विपक्षी दलों के नेता या तो जेल में होंगे या सत्ता के साथ होंगे तब फिर उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी।

यह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का भंडाफोड़ कर दिया और चंदा देने और लेने वाले के नाम सार्वजनिक हुए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के माध्यम से चंदा प्राप्त करने पर ब्रेक लग गया है। मीडिया द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि जिन कंपनियों ने चंदा दे दिया है उनका व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा है। उनके द्वारा कानून के उल्लंघन के बावजूद किसी एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक प्रकार से, दिए गए चंदा को संरक्षण राशि कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। इन्हें अब किसी का भय नहीं है क्योंकि कि “तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है.....”। कुल मिलाकर, हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सभी ऐसे कॉर्पोरेट घराने जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं अथवा वे सभी विपक्षी नेता जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेते हैं, उन सभी को एक प्रकार से अभय दान मिल जाता है।

इस सारे परिप्रेक्ष्य में, देश की साधारण जनता के साथ क्या होगा इसकी कल्पना करना अधिक कठिन नहीं है। जनता को पहचानना है कि किसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और कौन सरकार की नाराजगी और प्रताड़ना का शिकार है। अच्छा तो यह होगा कि सब नागरिक प्रधानमंत्री जी का हाथ थाम लें ताकि सब कोरस में गा सकें कि “तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरो में भी मिल रही रोशनी है.....”। ऐसा करके वे अपना उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

होम्योपैथी पद्धति के जन्मदाता हैनिमेन के जन्मदिवस के उपलक्ष में होम्योपैथी विशेष

होम्योपैथी के जनक, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन। जन्म:- 10 अप्रैल, 1755 मृत्यु:- 02 जुलाई, 1843

होम्योपैथी सर्व सुलभ, सुग्राही, स्थाई, सुरक्षित, भरोसेमंद व आसान चिकित्सा पद्धति



प्रो. राजीव सक्सेना

दस अप्रैल को होम्योपैथी पद्धति के जन्मदाता क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन जी का दौ सौ उत्तर वें (269वें) जन्मदिवस पर शहर के वरिष्ठ होम्योपैथ व प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आचार्य हैं, ने इस पद्धति के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की व इस पर विस्तृत सकारात्मक प्रकाश डाला।

होम्योपैथी के प्रति रोगियों का विश्वास काफी बढ़ा है। होम्योपैथी की तरफ भारत सरकार व आयुष विभाग भी ध्यान दे रहा है। अब होम्योपैथी चिकित्सा का परिणाम गंभीर बीमारियों


में भी सुखद व अच्छा आ रहा है। यह जनमानस के लिये एक अति उपयोगी व वरदान चिकित्सा पद्धति है। रोगियों का विश्वास इसमें उत्तरोत्तर व लगातार विश्वसनीयता प्राप्त करते हुए बढ़ता जा रहा है। यह चिकित्सा पद्धति चिकित्सक के लिये बहुत मेहनत मांगती है। रोगियों की आपातकाल परिस्थितियों में भी कई बार चमत्कारिक रूप से होम्योपैथिक दवाइयों का परिणाम काफी अच्छा मिलता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दुनिया भर में लोग इस पद्धति को काफी महत्व दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयों गर्भवति महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माता, बच्चों समेत बुजुर्गों के लिये भी सुरक्षित है।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। इसको दवाओं की राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अभाविते लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी

को लगभग 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा 41 देशों में अलग औषध प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 28 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन होम्योपैथी को, पारंपरिक और पूरक औषधि के सबसे अधिक इस्तेमाल को जाने वाली पद्धतियों में से एक पद्धति के रूप में मानता है।

होम्योपैथिक चिकित्सा में विभिन्न रोगों का इलाज करने के लिए पौधों और खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों की अल्पतम/नैनों तथा सूक्ष्मतम खुराक का उपयोग होता है। ये उपचार अचानक होने वाली और साथ ही पुरानी स्थितियों व जीवन शैली को बीमारियों का इलाज कर सकने में सर्वरूपेण उपयुक्त है। ये एक सम्पूर्ण व समग्रतया स्थायी व सामयिक चिकित्सा होने के नाते, यह केवल व्यक्तिगत या निजी लक्षणों का इलाज नहीं करती बल्कि सम्पूर्ण उपचार के लिए पूर्ण व्यक्तित्व के साथ-साथ व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर भी ध्यान देती है, जो कि अन्य चिकित्सा प्रणालियों में बहुत कम है। होम्योपैथी ने भारत में 1839 में उस समय जड़ पकड़ी जब डॉ. जॉन मॉर्टिन

होनिंग बर्गर ने स्वतंत्रों के पक्षाघात (लकवा) के लिए महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉ. होनिंग बर्गर कलकत्ता में रहने लगे और हैजा चिकित्सक के रूप में काफी लोकप्रियता पाई। बाद में डॉ. राजेन्द्र लाल दत्त, डॉ. एम.एल. सरकार जो कि ख्याति प्राप्त चिकित्सक थे, ने भी होम्योपैथी में प्रेक्टिस करना शुरू किया व डॉ. सरकार ने वर्ष 1868 में प्रथम होम्योपैथिक प्रिक्का कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन का संपादन किया। तदोपरंतव वर्ष 1881 में डॉ. पी.सी. मजूमदार, डॉ. डी.एन. राय व अनेक प्रसिद्ध चिकित्सक विद्वानों ने मिलकर प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज “कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज” की स्थापना की। रोमरॉय की बीमारियों के लिए यह एक सुरक्षित आलान व सर्वसुग्राही चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसे किसी सुयोग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लेना चाहिये। चिकित्सक कई कारकों पर विचार करते हैं। जिसमें आपकी आयु, लिंग, स्थिति, बीमारी की गंभीरता, उतार-चढ़ाव, चरण और आपके पिछले इतिहास को शामिल करके सही दवा की पहचान करते हैं। जो मरीज को तेजी से स्वास्थ्य लाभ देने में सहायक सिद्ध होती है।



किसी भी दवाई के बारे में एक मूल बात ध्यान रखें कि कोई भी दवाई आपको शारीरिक व मानसिक स्थिति, आपकी बीमारी के लक्षणों और आपकी उम्र आदि के हिसाब से चिकित्सक द्वारा निश्चित की जाती व दी जाती है। एक चिकित्सक को अपनी डिग्री पूरी करने के बाद प्रेक्टिस के साथ-साथ यह सीखने का मौका मिलता है कि कौनसी दवाई किस रोगी को कब, किस तरह से व किस शक्ति में व किस रूप में दी जानी चाहिए।

—प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना,
वरिष्ठ होम्योपैथ, आचार्य,
स्वास्थ्य कल्याण
होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं
रिसर्च सेंटर, जयपुर।

सांभर के देवयानी तीर्थ स्थल की हो रही अनदेखी, प्रमुख घाटों पर गंदगी का आलम

सरोवर में आस्था के नाम पर खंडित मूर्तियां और पूजा सामग्री डाली जा रही है

सांभर, (निर्स)। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में सुमार देवयानी तीर्थ स्थल सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की ओर से स्नान और पूजा-अर्चना के बाद वेस्ट पूजा सामग्री, वस्त्र डाले जा रहे हैं। आस्था के नाम पर तीर्थ स्थल में खंडित मूर्तियां भी डाली जाती हैं।

घाटों के चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं के अति प्राचीन मंदिरों के इतिहास का महाभारत व अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है। इसके बावजूद इन ऐतिहासिक धरोहरों व मंदिरों के रखरखाव की दिशा में स्थानीय प्रशासन और सरकार पूरी तरह से नकारात्मक बनी हुई है। सरोवर में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य बना लिया है। कुंड में बारिश के पानी के अलावा अन्य कोई स्रोत जल के आवन का नहीं है, ऐसी स्थिति में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने ही लगातार जल स्तर का घटना चिंता का विषय है। सरोवर



सांभर के देवयानी तीर्थ स्थल में साफ-सफाई का अभाव बना हुआ है।

में हजारों की तादाद में मछलियां, जलीय कछुए हैं, जिनके जीवन पर आने वाले समय में पानी की कमी से संकट उत्पन्न हो सकता है, इस स्थिति को लेकर न तो जनप्रतिनिधियों को चिंता है और न ही जिम्मेदार प्रशासन को इसकी परवाह है। साफ सफाई पूरी तरह से चौपट बनी हुई है। धर्मप्रेमी भी

को लेकर न तो जनप्रतिनिधियों को चिंता है और न ही जिम्मेदार प्रशासन को इसकी परवाह है। साफ सफाई पूरी तरह से चौपट बनी हुई है। धर्मप्रेमी भी

अपनी भूमिका भूल चुके हैं। बताया जा रहा है कि यदि आने वाले समय में सरोवर से जलकुंभी को हटाने और साफ-सफाई का कार्य नहीं किया गया

■ सरोवर में हजारों की तादाद में मछलियां, जलीय कछुए हैं, जिनके जीवन पर आने वाले समय में पानी की कमी से संकट उत्पन्न हो सकता है

■ देवयानी तीर्थ स्थल सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है

तो जलीय जीव जंतुओं को खतरा उत्पन्न हो सकता है। पहले भी अनेक दफा इस मामले में प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये हैं।

आर.टी.ई. में एडमिशन को लेकर आ रही समस्या, हजारों बच्चे प्रवेश से वंचित रह सकते हैं

श्रीगंगानगर, (निर्स)। राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2024-25 की नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमों में किए गए बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में अभिभावकों की परेशानी बढ़ी गई है। शिक्षा निदेशालय ने संशोधित नियम के अनुसार आयु गणना की तारीख में बदलाव किया है। इस कारण श्रीगंगानगर व अर्जुनपुर सहित प्रदेश के हजारों बच्चे प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। संशोधित नियम के तहत इस बार नर्सरी और पहली कक्षा

नि:शुल्क प्रवेश में दिया जा रहा है। नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम होनी जरूरी है। वहीं पहली कक्षा के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। विद्यालय में प्रवेश के लिए बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए। आरटीई में नि:शुल्क प्रवेश के लिए तीन से 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आयु गणना की तारीख में बदलाव के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जुलाई 2020 के बीच

■ शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमों में किए गए बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में अभिभावकों की परेशानी बढ़ी

■ शिक्षा निदेशालय ने संशोधित नियम के अनुसार आयु गणना की तारीख में बदलाव किया है

वहीं इस बार ये बच्चे उम्र अधिक होने से प्रवेश से वंचित रहेंगे। गिरेशकांत शर्मा, डीडीओ, मुख्यालय (प्रारंभिक व माध्यमिक), श्रीगंगानगर का कहना है कि आरटीई में प्रवेश के लिए आयु को लेकर तीन-चार अभिभावक मिले थे। इनकी आयु को लेकर समस्या थी लेकिन शिक्षा निदेशालय के स्तर पर ही 4 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन आवेदन करवाने संबंधित समक्ष कार्याही की जा सकती है। इसमें स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग कुछ भी नहीं कर सकता।

राशिफल मंगलवार 9 अप्रैल, 2024



पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2081, रेवती नक्षत्र प्रातः 7:32 तक, वैधृति योग दिन 2:18 तक, किस्तुघ्न करण दिन 10:11 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 7:32 से मेष राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कुम्भ, बुध-मीन, गुरु-मेष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज कुमार योग प्रातः 7:32 से रात्रि 8:31 तक है। सर्वाथ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग प्रातः 7:32 से बुधवार प्रातः 5:01 तक है। आज से बसन्त नवरात्र आरम्भ होगा। आज चैत्र शुक्लादि, गुडी पडवा, कल्पादि, ध्वजारोहण, सवत्सर फल व्रणण, वैधृति पूर्ण्य है। पंचक प्रातः 7:32 से समाप्त होगा। आज घट स्थापना अभिजित मुहूर्त में करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन 12:04 से 12:54 तक रहेगा।

श्रेष्ठ चौघडिका, चुर 9:21 से 10:55 तक, लाभ-अमृत 10:55 से 2:02 तक, शुभ 3:36 से 5:10 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:44

मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगी। नैकीरिपेक्षा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। शुभ धार्मिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगे। नवीन व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बने लगे। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

पिकर
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मीन
आर्थिक कार्यों से अटके हुए कार्य बने लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।